

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ई-मेल  
फैक्स

प्रेषक

शशि भूषण तिवारी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,  
नालन्दा/गया /बांका एवं बेगुसराय।

पटना-15 दिनांक-21-07-15

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व-104-सरकारी संपदाओं का प्रबंध-0002- हाट बाजार कचहरी इत्यादि का सुरक्षण 2701-लघु कार्य मांग संख्या-40 विपत्र कोड-एन0 2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 1,03,86,000/- (एक करोड़ तीन लाख छियासी हजार) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-451(9)/रा0 दिनांक-21.07.2015 के आलोक में राज्य में आयोजित प्रमुख मेलों के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित स्वीकृत राशि कुल 1,03,86,000/- (एक करोड़ तीन लाख छियासी हजार) रूपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0	मेला/ जिला का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	राजगीर मलमास मेला-2015 नालन्दा।	1,00,000/- (एक लाख)	1,00,000/- (एक लाख)
2	पितृपक्ष मेला-2015 गया।	55,00,000/- (पचपन लाख)	55,00,000/- (पचपन लाख)
3	श्रावणी मेला-2015 बांका।	40,00,000/- (चात्तीस लाख)	40,00,000/- (चात्तीस लाख)
4	कार्तिक पुर्णिमा मेला-2014 एवं माघी पूर्णिमा मेला-2015 बेगुसराय का अतिरिक्त राशि।	2,10,000/- (दो लाख दस हजार)	2,10,000/- (दो लाख दस हजार)
5	बाबा हरिगिरि धाम श्रावणी मेला-2014 बेगुसराय का अतिरिक्त राशि।	5,76,000/- (पाँच लाख छिहत्तर हजार)	5,76,000/- (पाँच लाख छिहत्तर हजार)
		कुल 1,03,86,000/- (एक करोड़ तीन लाख छियासी हजार) रूपये मात्र।	कुल 1,03,86,000/- (एक करोड़ तीन लाख छियासी हजार) रूपये मात्र।

- उपर्युक्त राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जाएगी।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 (वि0)(2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्र सं0-396/वि0 दिनांक-24.04.2015 के आलोक में किया जा रहा है।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर माँग संख्या इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
- वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान 2015-16 के बजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषय शीर्ष में प्रावधानिक राशि से किया जा सकता है।
- राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रामाण्य संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह के सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

7. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।
8. आवंटित राशि की निकासी के बाद इसका व्यय राजस्व विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित पदाधिकारी समाहर्ता/ अपर समाहर्ता/ सम्बन्धित भूमि सुधार उप समाहर्ता/अंचल पदाधिकारी द्वारा ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,

2/10/2017

(शशि भूषण तिवारी),

सरकार के विशेष सचिव।

2/10/17